



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce and Industry
Government of India)

Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन. एच. बाइपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोचिन - 682 025, भारत

विपणन-विविध/007/2015-विपणन
MKT-MISC/0007/2015-MARKETING

30.04.2019

परिपत्र CIRCULAR

विषय: इराक के लिए मसालों व मसले उत्पादों का निर्यातव
Sub : Export of Spices and spices products to Iraq.

इराक गणराज्य के राजदूतावास ने सूचित किया है कि अधिकांश निर्यातक इराक राजदूतावास से वैधीकरण प्राप्त किए बिना इराक को माल भेजते हैं, जो एक अवैध गतिविधि है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, सभी मसाला निर्यातकों को इराक के राजदूतावास से उद्गम प्रमाणपत्र एवं बीजक का सत्यापन प्राप्त करना और इराक को लदान से संबंधित सभी संगत दस्तावेजों को उनके साथ साझा करना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी, ferd.as.in@mot.gov.iq से प्राप्त कर सकते हैं।

मसालों के सभी रजिस्ट्रीकृत निर्यातकों को, इराक को निर्यात करने हेतु उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने का निदेश दिया जाता है।

The Embassy of Republic of Iraq has informed that most of the exporters are sending goods to Iraq without getting legalization from the Embassy of Iraq, which is an illegal activity. As per the communication received, all spices exporters have to get attestation of Certificate of Origin & Invoice from the Embassy of Iraq and to share with them all relevant documents regarding shipments to Iraq. Further details in this regard, may be sought from ferd.as.in@mot.gov.iq.

All the registered exporters of spices, exporting to Iraq are advised to adhere to the above said procedure.


निदेशक (विपणन) / DIRECTOR (MKTG)

सेवा में, / To

सभी रजिस्ट्रीकृत निर्यातक
All Regd. Exporters of Spices